प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव,
राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0,
9वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 23 /यूपीराभूजप्रविप्रा, लखनऊः दिनांकः फरवरी 25, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन करने हेतु टास्क फोर्स के गठन एवं दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिनियम के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आन–लाइन वेब पोर्टल (upgwdonline.in) भी विकसित किया है, जिसके संचालन के लिए आपके जनपद में उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, के द्वारा लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त वेब–पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कतिपय शर्तो यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, इफलुमेन्ट प्लान्ट (Effluent treatment plant) (उद्योग हेतु), फ्लोमीटर, बोर की साइज, पम्प का प्रकार एवम् क्षमता इत्यादि की आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन हेतु आपके जनपद में निम्नानुसार सदस्यो की समिति/टास्क फोर्स का गठन किया जाता हैः–

1. नामित नोडल अधिकारी।
2. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग/भूगर्भ जल विभाग (यदि नोडल अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के नामित हैं तो भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी सदस्य होगें। यदि नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग के नामित हैं तो लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सदस्य होगें)।

3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
6. सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी आवश्यकतानुसार।

सूचनीय है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति निर्गमन एवम् पंजीयन सेवाएं जनहित गारण्टी अधिनियम से अच्छादित है। अतएव आवेदन पत्रों के प्राप्त होने से निस्तारण तक की अवधि के समस्त कार्य 30 दिवस के अन्दर किया जाना अनिवार्य है।

अतः जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को निस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार टास्क फोर्स को निर्देशित करते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य सचिव
राज्य जल प्रबन्धन और नियामक
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुसचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त नोडल अधिकारी, वेब–पोर्टल।

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य सचिव
राज्य जल प्रबन्धन और नियामक
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।